

कोरोना के कहर से बचें, घर में सुरक्षित रहे।

सेवा में
छात्र छात्र/छात्र सिद्ध
पाकुलिया

सहायता

कृ नाम पर हैं, वे कावली के अनुसार स्वतंत्रता की रक्षित उमेश गौड़
गौड़ ने दलित रस - 1447 दिनांक - 21/09/22 के द्वारा बिल्ली किया है, जिसमें
स्वतंत्रता की रक्षित के अन्तर्गत चाला नियंत्रण गौड़ के द्वारा उक्त मुक्ति पर
आपत्ति की गई है। अल्प अवधि कार्य के आयालय में दोनों पक्षों को सुनवाई
के लिए नोटिस निर्गत कर सुलझा गया। किन्तु प्रथम पक्ष के समक्ष
करने से इनकार किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष पर बिना
आपत्ति लिए नामान्तरण से संबंधित अगुसर कारवाई करना उचित
सर्वीत नहीं होता है।

अंतर नामान्तरण वाद रस - 424/22 - 23 को अस्वीकृत किया
जा सकता है।



~~अस्वीकृत~~

अस्वीकृत